शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2023
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

हिन्दी भाषा के लिए तपस्या की आवश्यकता

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

दुनिया के देश अपने यहां बोली, लिखी, समझी जाने वाली भाषा को लेकर सदा चिंतित रहते हैं। इस चिंता का कारण भी वाजिब है। भाषा की शुद्धता का आग्रह जितना पुरानी पीढ़ी में देखा जाता था, आज वह विलुप्त होता जा रहा है। अब भाषा को केवल अपनी बात को समझाने भर का माध्यम मान लिया गया है। तकनीक के दौर में युवा पीढ़ी ने भाषायी शुद्धता के आग्रह को अपने जीवन से लगभग बेदखल कर दिया है। उन्होंने अपनी नयी शब्दावली गढ़ ली है, जिसमें न पूरा बोलने की जरूरत है और न लिखने की। दुनिया के दूसरे देश और भारत की स्थिति इस मायने में भिन्न है कि विदेशों में भाषायी ज्ञान के विस्तार के लिए जगह-जगह प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं, जहां देशी-विदेशी नागरिक भाषा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परंतु हमारे देश में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति जैसी संस्थाएं आजादी के पहले से हिन्दी भाषा के शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं। इसके केंद्रों की संख्या भी काफी अधिक है। इसके बरक्स स्कूल-कॉलेजों में अध्ययन-अध्यापन में हिन्दी भाषा की स्थिति को संतोषजनक नहीं का जा सकता। हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी भाषा के अध्ययन-अध्यापन को बहुत हलके ढंग में लिया जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय से श्रुत लेखन और शुद्ध लेखन पर विराम ही लगा दिया गया है। कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व के चलते हिन्दी का वहां प्रवेश निषेध जैसा ही है। अनेक कॉन्वेंट स्कूलों में हिन्दी में बातचीत करने पर दंड का प्रावधान है। देश में एक समान शिक्षा नीति का ढिंढोरा पीटा जाता है, परंतु धरातल पर स्थिति उलट है। प्रादेशिक बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड की भाषा नीति में ही एकरूपता नहीं है। केंद्रीय बोर्ड से संचालित होने वाले स्कूलों में विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा के बाद हिन्दी भाषा का चयन नहीं करने दिया जाता है, जिससे वे अध्ययन के दो वर्षों तक हिन्दी से दूर जा पड़ते हैं। आज यदि हिन्दी भाषा के अध्ययन-अध्यापन को ग्रामीण क्षेत्र, कस्बाई क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र में विभाजित करके देखें तो पाएंगे कि किसी भी क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति बेहतर नहीं है। अंग्रेजी के हिज्जों के प्रति जितना आग्रह रखा जाता है, उतना हिन्दी के लिए कभी नहीं देखा जाता है। यद्यपि विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर भाषा ज्ञान के साथ-साथ उच्चारण और मात्राओं का ज्ञान दे दिया जाता है, परंतु विद्यार्थी अपने लिखे के प्रति कभी आश्वस्त नहीं हो पाता कि उसने सही लिखा है। संप्रेषण कौशल की कमी, विद्यार्थी के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आधा-अधूरा भाषायी ज्ञान होने से युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। भाषा शिक्षण की शुरुआत वर्णमाला से होती है। बारहतेरह साल हिन्दी भाषा पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी वर्णमाला लिखना नहीं जाने, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। स्नातक प्रथम वर्ष के 50 विद्यार्थियों को हिन्दी वर्णमाला लिखने का प्रश्न दिया गया, तब उसमें से मात्र दो विद्यार्थियों ने पूरी वर्णमाला ड़, ढ़ और श्र वर्ण सहित लिखी। उनमें से छः विद्यार्थियों ने वर्णमाला नहीं लिखी। पंद्रह विद्यार्थियों ने गलत वर्णमाला लिखी, जबकि शेष ने आंशिक रूप से सही वर्णमाला लिखी। जब उन विद्यार्थियों से पूछा गया कि वर्णमाला में गलती का क्या कारण है तब अधिकांश विद्यार्थियों का कहना था कि उन्होंने आठवीं अथवा दसवीं कक्षा के बाद हिन्दी भाषा का अध्ययन नहीं किया। हम हिन्दी भाषा के दिग-दिगंत तक हो रहे विस्तार का गुणगान कितना ही कर लें, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। स्वतंतत्र के पहले हमारे महापुरुषों ने हिन्दी भाषा को लेकर यदि इतनी तपस्या नहीं की होती तो आज देश पूरी तरह भाषा विहीन हो गया होता। आज हिन्दी भाषा को लेकर उसी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता देश के सामने पुनः उपस्थित है।